>

Title: Need to look into the problems being faced by the pensioners of Uttar Pradesh who retired prior to the year 2000.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन के पूर्व सेवानिवृत हुए अविभाजित राज्य के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एरियर की राशि व बढ़े हुए डी.ए. का लाभ न मिलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे सेवानिवृत राज्य कर्मचारियों में भारी रोष है।

वर्ष 2000 में पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन के पूर्व सेवानिवृत हुए राज्य कर्मचारी / अधिकारी, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सरकार की उपेक्षा के चलते परेशान हैं। इन कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत एरियर व केंद्र द्वारा स्वीकृत आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते की राशि देने में उत्तराखंड सरकार आनाकानी कर रही है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि राज्य गठन से पूर्व सेवानिवृत हुए राज्य कर्मचारियों को एरियर व डी.ए. देने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी इन कर्मचारियों की मांग को नजरअंदाज कर रही है।

पृथक उत्तराखंड के गठन से पूर्व सेवानिवृत हुए करीब चालीस हजार कर्मचारी एवं अधिकारी उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से आहत हैं। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन में इन कर्मचारियों के त्याग की एक अहम भूमिका रही। उत्तराखंड राज्य गठन के लिए 90 के दशक में चले प्रचंड आंदोलन के दौरान इन राज्य कर्मचारियों द्वारा अपनी रोजी -रोटी की चिंता किए बगैर तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोला गया था। इसके बावजूद इन पेंशनरों के प्रति उत्तराखंड सरकार की बेरूखी से उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं इन पेंशनरों को भारी आर्थिक व मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य गठन के दौरान राज्य पुनर्गठन विधेयक में कर्मचारियों के बंटवारे व पेंशन आदि पर स्पष्ट नीति न बनने का खामियाजा इन सेवानिवृत कर्मचारियों / अधिकारियों को उठाना पड़ रहा है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह दो राज्यों के मध्य विवाद होने के कारण इस मामले में हस्तक्षेप कर करीब चालीस हजार प्रभावित पेंशनरों को राहत दिलवाये।